राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का. / क्यूसी / जीसी / नीमकाथाना / 2020 / 9378 दिनांक : ~~18~~.08.2020 19-8-20

आदेश

विषयः— भण्डारण निगम के स्वयं के भण्डारगृहों अथवा तत्समय निगम के अधीन किसी भी प्रकार के भण्डारगृहों से कृषि जिन्सों की या अन्य किसी प्रकार की चोरी होने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के यह ध्यान में आया है कि राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के स्वयं के भण्डारगृहों अथवा निगम के अधीन तत्समय कार्यरत निजी / अन्य किसी भी प्रकार के भण्डारगृहों से कृषि जिन्सों अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री चोरी होने पर संबंधित थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जाती है। परन्तु ऐसे प्रकरणों में निगम द्वारा न तो प्रशासनिक जाँच करवायी जाती है और न ही संबंधित दोषी निगम कार्मिक के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्यवाही सामान्यतः की जाती है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में मुख्यालय द्वारा आवश्यक रूप से प्रशासनिक जाँच करवायी जायेगी। प्रशासनिक जाँच में दोषी पाये गये अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। एफ.आई.आर. में न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

IMMEDIATE

(पवन कुमार गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, RSWC, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, RSWC जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक / भण्डार प्रबन्धक / भण्डार प्रभारी, राज्य भण्डारगृह।
4. नोटिस बोर्ड / सुरक्षा गार्ड।

(सुरदीप सिंह)
संयुक्त निदेशक (विकास)